<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12062025-263756 CG-DL-E-12062025-263756

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2512]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 12, 2025/ज्येष्ठ 22, 1947

No. 2512]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 12, 2025/JYAISTHA 22, 1947

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2025

(आयकर)

का.आ. 2576(अ).— आयकर नियमावली, 1962 के नियम 8ख के उप-नियम (3) तथा उप-नियम (6) के खंड (ii), खंड (iii) और खंड (v) के साथ पठित, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 2 के खंड (48) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 2 के उक्त खंड (48) के प्रयोजनों के लिए बंधपत्र (बॉन्ड) को निम्नलिखित विवरणों के साथ शुन्य कृपन बंधपत्र के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात:-

(क) बंधपत्र का नाम

- राष्टीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) का शन्य कृपन बंधपत्र

(ख) बंधपत्र की जीवन अवधि

- दस वर्ष ग्यारह माह तेरह दिन

- (ग) बंधपत्र जारी करने की समय-सारणी दिनांक 31 मार्च 2027 को या उससे पहले जारी किया जाना है
- (घ) परिपक्वता या बंधपत्र के मोचन पर 19,500 करोड़ रुपये भुगतान की जाने वाली राशि

(ङ) छ<u>ु</u>ट

- 10,349.625 करोड़ रुपये

(च) जारी किये जाने वाले बंधपत्रों की संख्या - 19.50 लाख

[अधिसूचना सं. 56 /2025 / फा.सं. 300164/4/2024-आईटीए-I] मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

3796 GI/2025 (1)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th June, 2025

(INCOME TAX)

S.O. 2576(E).—In exercise of the powers conferred by clause (48) of section 2 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), read with clause (ii), clause (iii) and clause (v) of sub-rule (3) and sub-rule (6) of rule 8B of the Income-tax Rules, 1962, the Central Government hereby specifies the bond with the following particulars as zero coupon bond for the purposes of the said clause (48) of section 2 of the said Act, namely:-

(a) name of the bond - Zero Coupon Bond of The National Bank for Agriculture and Rural

Development (NABARD)

(b) period of life of the bond - Ten years eleven months thirteen days

(c) the time schedule of the issue - To be issued on or before the 31st day of March 2027 of the bond

(d) the amount to be paid on maturity - Rs.19,500 crores

or redemption of the bond

(e) the discount - Rs. 10,349.625 crores

(f) the number of bonds to be issued - 19.50 lakhs

[Notification No. 56/2025/ F.No.300164/4/2024-ITA-1]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.